तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

03.02.2023

पत्रावली पेश हुई।
बकुलाय फरीकैन उपस्थित।
बहस हेतु अवसर चाहते हैं। जो दिया जाकर पत्रावली आईंदा 06.02.2023 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

06.02.2023

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1 से 6 के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि विवादित भूमि के संबंध में उन्होंने धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। ग्राम पातों का बाड़ा, तहसील समदड़ी का खसरा सं. 397/201 रकबा 13–1199 हैक्टेयर भूमि प्रार्थिनी सं. 1 की सास एवं 2 की दिवंगत दादी की क्रयशुदा है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत वारिस अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी सं. 2 की दादी श्रीमती दयालकंवर के फौत होने पर विवादित भूमि उनके पति एवं पुत्रों, जिनमें प्रार्थीगण का पिता–पति शामिल है, के नाम दर्ज हुई। प्रार्थिनी सं. 1 का पति विवादित भूमि में निहित प्रार्थीगण के हकहिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त 1/6 हिस्से की समग्र भूमि का अजनबी क्रेता को बेचान कर प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं उन्हें उनके पुश्तैनी हकों से महरूम करने पर उतारू है। यदि विप्रार्थी सं. 2 अपने इस मकसद में कामयाब हो गया, तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। विवादित भूमि पुश्तैनी होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

अतः प्रकरण में जारी अन्तरिम स्थगन दिनांक 03.08.21 ताफैसला मूल वाद कन्फर्म करते हुए विप्रार्थी सं. 2 को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.22 15:11:52 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी सं. 2 की बहस है कि प्रार्थीगण द्वारा स्थगन के लिए आवश्यक तीनों बिंदुओं सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति – में से किसी भी बिन्दु का तथ्यात्मक उल्लेख किये बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। न उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के किन प्रावधानों के तहत उनके हक बनते हैं। श्रीमती दयालकंवर द्वारा क्रयशुदा भूमि न तो पैतृक

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

संपत्ति की परिभाषा में आती है और न संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त संपत्ति की। श्रीमती दयालकंवर के फौत होने पर उनके वारिसान विप्रार्थी सं. 1 से 6 को हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 15(1) के तहत व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई। जिसमें प्रार्थीगण का कोई हिस्सा नहीं है। इस प्रकार विवादित भूमि में प्रार्थीगण का स्वत्व नहीं होने एवं न उनका कब्जाकाश्त होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने का कोई प्रश्न ही नहीं है और न विवादित भूमि के 1/6 हिस्से की खातेदारी विप्रार्थी सं. 2 की ही होने से वह उक्त भूमि के उपयोग–उपभोग के लिए स्वतंत्र है, उसके समस्त अधिकार होने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की कोई आशंका नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पूर्णतः अविधिसम्मत होने एवं हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण, विप्रार्थी सं. 2 के पत्नी–पुत्र हैं और विवादित भूमि प्रार्थी सं. 2 की दादी ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रय की थी। प्रार्थी सं. 2 की आयु मात्र 10 वर्ष होने से वह नाबालिग है। यद्यपि पक्षकारान के विवादित भूमि में हकों का निर्धारण वाद के विधिवत सुनवाई के बाद पारित निर्णय से संभव होगा, किंतु विप्रार्थी सं. 2 द्वारा उक्त भूमि का हस्तान्तरण किये जाने की सूरत में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने और अपने भरण–पोषण से महरूम होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पातों का बाड़ा तहसील समदड़ी के खसरा सं. 397/201 रकबा 13–1199 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अदालत द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन दिनांक 03.08.21 का तायफैसला मूल वाद कन्फर्म करते हुए विप्रार्थीगण को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

आदेश सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.22 15:11:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना